

mainstream. They are still in the hunting gathering stage and it is a big challenge for us to ensure the health and the livelihood security of these endangered tribal populations. I do not deal with it directly, but I have dealt with it in the past. I know that the Island Development Authority that is set up under the Chairmanship of the Prime Minister is looking at programmes specifically targeted at such primitive -- I do not want to use the word primitive -- because it is a very valued possession. One of the things that we need to do is to stop using the word 'primitive tribal groups'. We should say original inhabitants of the land and it is a big challenge for us because they are dying out and how the local administration is going to respond to this challenge is going to test our ability.

Multi-sectoral development programme

*204. SHRIMATI NAZNIN FARUQUE: Will the Minister of MINORITY AFFAIRS be pleased to state:

- (a) the details of objectives of Multi-sectoral Development Programme for minorities;
- (b) the details of districts identified for overall development of minorities under this programme in the North-Eastern States and other parts of the country;
- (c) the quantum of funds allocated by the Central Government for the implementation of the programme; and
- (d) the details of measures taken to improve the living conditions and employment prospects of minorities?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) 90 Minority Concentration Districts (MCDs) were identified on the basis of substantial minority population and relative backwardness in terms of selected socio-economic and basic amenities parameters based on data of 2001 Census. For addressing the development deficit, a special area development programme called Multi-sectoral Development Programme (MsDP) is being implemented from 2008-09. The primary objective of the programme is to improve the backwardness parameters which resulted in the identification of the districts as backward and to bring them at par with the national averages.

(b) and (c) The details of 90 identified Minority Concentration Districts (MCDs) including the MCDs in North Eastern States and tentative funds allocated for implementation of programme for the Eleventh Five Year Plan are given in the Statement (See below).

(d) The measures taken, *inter alia*, to improve the living conditions and employment prospects for these districts include projects for construction of Indira Awas Yojna (IAY) houses; anganwadi centres; primary health centres, primary health sub-centres; community health centres; industrial training institutes; polytechnic institutes; toilets for schools; residential schools; laboratory rooms; additional class rooms for primary schools, high schools, inter colleges; construction of hostels for boys and girls in industrial training institutes, polytechnic institutes, high schools and inter-colleges/senior higher secondary schools; installation of hand pumps for drinking water; providing solar lanterns and teaching aids like computers, laboratory equipments etc.

Statement

List of 90 Minority Concentration Districts (MCDs) in the country

List of districts which have either socio-economic or basic amenities indicators or both below national averages

Sl. No.	States	Districts	% of minority population	Basic Amenities	Socio-economic	Tentative Allocation (Rs. in Lakh)
1	2	3	4	5	6	
	INDIA			41.7	45.8	
1	Andaman & Nicobar Islands	Nicobars	73.27	39.0	53.40	1500
2	Arunachal Pradesh	East Kameng	26.43	29.7	38.6	1870
3	Arunachal Pradesh	Lower Subansiri	25.7	40.1	41.8	1780
4	Arunachal Pradesh	Changlang	52.53	24.3	44.3	1870
5	Arunachal Pradesh	Tirap	51.56	35.0	38.2	1780

	1	2	3	4	5	6
6	Arunachal Pradesh	Tawang	77.17	54.5	40.5	1500
7	Arunachal Pradesh	West Kameng	49.8	49.7	44.1	1500
8	Arunachal Pradesh	Papum Pare *	37.28	55.0	42.2	1500
9	Assam	Kokrajhar	34.27	8.3	32.8	5420
10	Assam	Dhubri	75.08	7.3	26.3	8430
11	Assam	Goalpara	61.61	9.7	32.6	5760
12	Assam	Bongaigaon	40.69	13.6	29.1	5610
13	Assam	Barpeta	59.72	9.4	29.2	7300
14	Assam	Darrang	42.17	11.2	29.6	6330
15	Assam	Marigaon	47.7	8.7	30.1	5900
16	Assam	Nagaon	52.1	15.2	31.0	7030
17	Assam	Cachar	38.39	18.4	40.0	4050
18	Assam	Karimganj	53.22	16.1	34.8	4950
19	Assam	Hailakandi	58.74	14.8	35.8	4450
20	Assam	Kamrup	26.79	32.2	37.1	3530
21	Assam	North Cachar Hills	29.73	24.8	52.50	1590
22	Bihar	Araria	41.27	3.7	25.6	8110
23	Bihar	Kishanganj	67.87	4.6	20.1	8790
24	Bihar	Purnia	36.99	5.8	22.0	8550
25	Bihar	Katihar	42.83	6.9	24.6	8260
26	Bihar	Sitamarhi	21.25	13.13	24.28	6780
27	Bihar	Pashchim Champaran	21.51	11.56	33.06	5860

	1	2	3	4	5	6
28	Bihar	Darbhanga	22.76	16.81	30.47	5970
29	Delhi	North East	28.99	70.1	38.1	2210
30	Haryana	Mewat	70.73		36.9	3420
31	Haryana	Sirsa	27.94	55.1	44.7	1500
32	Jammu & Kashmir	Leh (Ladakh)	78.02	33.3	50.3	1500
33	Jharkhand	Sahibganj	37.63	8.4	33.7	5370
34	Jharkhand	Pakaur	38.29	5.8	33.0	5520
35	Jharkhand	Ranchi	21.94	22.73	50.54	2970
36	Jharkhand	Gumla	36.06	4.5	54.00	4280
37	Karnataka	Gulbarga	23.12	52.08	40.53	2330
38	Karnataka	Bidar	30.73	52.8	41.2	1660
39	Kerala	Wayanad	49.36	41.4	57.80	1500
40	Madhya Pradesh	Bhopal	25.7	68.7	44.4	1500
41	Maharashtra	Parbhani	26.14	41.3	44.1	1500
42	Maharashtra	Buldana	26.69	40.2	50.50	1500
43	Maharashtra	Washim	25.89	34.1	51.20	1500
44	Maharashtra	Hingoli	25.53	33.3	48.50	1500
45	Manipur	Thoubal	25.3	18.5	45.0	233
46	Manipur	Senapati	79.74	19.1	50.10	2050
47	Manipur	Tamenglong	96.23	13.8	49.10	2650
48	Manipur	Churachandpur	94.75	19.1	53.70	2430
49	Manipur	Ukhrul	95.91	22.2	57.60	1990

	1	2	3	4	5	6
50	Manipur	Chandel	94.34	16.1	48.60	2460
51	Meghalaya	West Garo Hills	15.56	13.6	42.7	3050
52	Mizoram	Lawngtlai	52.58	14.7	52.3	2430
53	Mizoram	Mamit	15.45	17.1	66.3	2160
54	Orissa	Gajapati	34.16	16.9	41.6	3130
55	Sikkim	North	60.35	38.1	56.10	1500
56	Uttar Pradesh	Moradabad	46.06	39.3	25.2	6960
57	Uttar Pradesh	Rampur	52.84	39.4	24.3	5470
58	Uttar Pradesh	Jyotiba Phule Nagar	40.05	33.8	29.5	4310
59	Uttar Pradesh	Bareilly	35.15	40.7	25.9	5680
60	Uttar Pradesh	Pilibhit	28.56	314	27.1	4580
61	Uttar Pradesh	Bahraich	35.38	18.0	25.8	6730
62	Uttar Pradesh	Shrawasti	25.77	20.6	26.6	5220
63	Uttar Pradesh	Balrampur	37.05	26.2	32.0	4660
64	Uttar Pradesh	Siddharthnagar	29.94	32.6	35.8	3540
65	Uttar Pradesh	Bijnor	4349	40.3	31.2	5160
66	Uttar Pradesh	Saharanpur	40.12	44.2	29.6	4830
67	Uttar Pradesh	Muzaffarnagar	38.78	44.9	30.4	5180
68	Uttar Pradesh	Meerut	33.77	51.9	29.2	4560
69	Uttar Pradesh	Baghpat	24.94	42.2	29.0	3020
70	Uttar Pradesh	Ghaziabad	24.8	58.6	30.3	3980
71	Uttar Pradesh	Shahjahanpur	20.31	22.78	27.53	5370

	1	2	3	4	5	6
72	Uttar Pradesh	Bulandshahar	21.42	38.63	32.56	3500
73	Uttar Pradesh	Budaun	21.70	27.78	23.60	5810
74	Uttar Pradesh	Barabanki	22.32	21.52	30.89	5170
75	Uttar Pradesh	Kheri	22.51	26.54	29.49	5200
76	Uttar Pradesh	Lucknow	21.61	53.64	39.28	2640
77	Uttaranchal	Udham Singh Nagar	32.47	47.8	34.6	2470
78	Uttaranchal	Hardwar	34.5	49.9	29.0	3480
79	West Bengal	Uttar Dinajpur	47.93	9.2	29.7	7650
80	West Bengal	Dakshin Dinajpur *	25.51	11.6	44.9	3570
81	West Bengal	Maldah	49.99	16.2	38.2	6870
82	West Bengal	Murshidabad	63.92	17.8	35.4	11710
83	West Bengal	Birbhum	35.35	16.9	38.7	5480
84	West Bengal	Nadia	26.09	24.0	35.3	5640
85	West Bengal	South 24-Parganas	34.06	21.2	36.6	8200
86	West Bengal	Howrah	24.7	47.4	41.6	2890
87	West Bengal	North 24-Parganas	24.63	47.2	40.9	5480
88	West Bengal	Burdwan	20.36	35.52	43.22	3960
89	West Bengal	Cooch Bihar	24.36	10.49	40.23	4820
90	West Bengal	Kolkata	21.63	84.51	44.54	2340

SHRIMATI NAZNIN FARUQUE: Respected Chairman, Sir, Multi-Sector Development Programme (MSDP) for minorities was launched in 2008-09 in selected minority concentration

districts having a substantial minority population which was already backward and falling behind the national average in terms of socio-economic and basic amenities. During 2008-09, the Ministry of Minority Affairs could achieve only 50.16 per cent financial achievement. I want to know from the hon. Minister the details of the projects approved and implemented under MSDP concerning health, nutrition, drinking water supply, education, skill development, employment and income generating scheme and electrification and the number of persons given employment under the programme in Assam and the other North-Eastern States.

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, the MSDP is essentially a top up programme where additional funding is provided to districts that have substantial minority population and are below national average in terms of development index. It is not our intention and indeed not possible to displace any line Ministry that is already doing development work. On the website of the Ministry, all the detail of the work that has been done is provided. We have obviously given great importance to be given to the areas that the hon. Member has spoken of, and I would urge the hon. Member to actually go to the website. We will be happy to give a hard copy as well of the detailed work that is being done.

SHRIMATI NAZNIN FARUQUE: The quantum of funds sanctioned by the Central Government for MsDP during 2008-09, 2009-10 and 2010-11; how much funds have remained unutilized; the quantum of funds used for the purposes; and the action taken to use the entire MsDP funds. Thank you.

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, we are expecting, by the end of the present financial year that we would have completed the allocation of Rs. 2,750 crores minus Rs.89 crores. Our objective is that we should be able to do Rs. 3,780 crores in this Plan provided the additional funding is available. It will, obviously, take a little time before the State Governments send us their utilization certificates. But I can point out to the fact that in 2008-09, essentially the first year of this programme, we were able to get reports of 85 per cent utilization of funds; for 2009-10, we are still waiting utilization figures, and obviously, that will be followed by whatever amount we give as the allocation this year.

MR. CHAIRMAN: Shri Ram Vilas Paswan.

श्री रामविलास पासवान : सभापति जी, क्वेश्चन के लास्ट में यह था, "(d) the details of measures taken to improve the living conditions and employment prospects of minorities." Employment के संबंध में सरकार बिल्कुल चुप है, जबकि यूपीए-1 के समय minorities के संबंध में निर्णय लिया गया था और उस निर्णय के तहत सच्चर कमेटी का गठन किया गया था। सच्चर कमेटी ने कहा था कि जो Scheduled Castes हैं, जो minorities हैं और खासकर जो मुस्लिम minorities हैं, उनकी हालत दलित जैसी है और इस पर उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट दी थी। उसके तत्वाधान में सरकार ने रंगनाथ मिश्र कमीशन बनाया। रंगनाथ मिश्र कोई दलित नहीं थे, वे minorities से संबंधित नहीं थे, बल्कि वे Chief Justice of India थे और उच्च कुल के थे। उन्होंने जो हालत देखी, उस हालत के तहत उन्होंने कहा कि मुस्लिम minorities को 10 परसेंट और other minorities को 7 परसेंट आरक्षण होना चाहिए।

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री रामविलास पासवान : मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की जो अनुशंसा है, क्या वह dustbin में पड़ी रहेगी या सरकार उस पर कोई कार्रवाई करेगी? जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं, जिन्हें पश्चिमी बंगाल ने रिजर्वेशन दिया है, उसी तर्ज पर क्या भारत सरकार भी रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हुए, उनके आरक्षण की व्यवस्था करेगी?

श्री सलमान खुर्शीद : सर, जो कार्यक्रम विस्तार से क्रियान्वित किये जा रहे हैं, उनमें अल्पसंख्यकों को सशक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें access to credit, शिक्षा, स्कॉलरशिप और ऐसे विशेष कार्यक्रम हैं, जिनसे सरकार और सरकार के बाहर सार्वजनिक क्षेत्र के जो रोजगार हैं, उनमें उनको अवसर प्राप्त हो सके।

माननीय सदस्य महोदय ने रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पर विशेष ध्यान दिलाया है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट इस सत्र से पहले रखी गई है। वह हमारे इस सम्भावित हाउस के सामने भी रखी गई है और विचाराधीन है, लेकिन उससे पहले सच्चर कमेटी से जो बड़े महत्वपूर्ण परामर्श हम लोगों को मिले थे, उन पर कार्रवाई जारी है। सच्चर कमेटी में ही ये संकेत दिये गये थे कि पिछड़े वर्ग के जो अल्पसंख्यक हैं, उनको समान अवसर प्राप्त हो। सर, आप जानते हैं कि समान अवसर आयोग बनाने पर भी सरकार विचार कर रही है और मुझे विश्वास है कि इस पर हम जैसे ही निर्णय लेंगे, वह हाउस के सामने आएगा और सदस्य महोदय उससे अवश्य संतुष्ट होंगे।

MR. CHAIRMAN : Shri Mukhtar Abbas Naqvi. ... (Interruptions)...

श्री रामविलास पासवान : सर, ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN : No supplementary on supplementaries, please ... (Interruptions)...

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस महत्वपूर्ण सवाल ...(व्यवधान)...

श्री रामविलास पासवान : रंगनाथ मिश्र ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : अगर आप जवाब से satisfied नहीं हैं तो आप मंत्री जी को लिखिए।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : माननीय मंत्री जी ने अभी इस महत्वपूर्ण सवाल का जो जवाब दिया है, मैं मानता हूँ कि मंत्री जी इस संबंध में बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, उनकी नीति भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं नीयत में ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN : No insinuations, please. ... (Interruptions) ... No insinuations, please.

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपने इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया कि आप अल्पसंख्यकों के लिए इनको लागू करना चाहते हैं - इंदिरा आवास योजना से लेकर आंगनवाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोलिटेक्नीक वगैरह। इसके अतिरिक्त आपने अपने उत्तर में बताया कि आपने 2 महत्वपूर्ण चीजें की हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के रामपुर में आपने कहा है कि 52.84 परसेंट माइनोंरिटीज की पापुलेशन है। वहां का आर्थिक और सामाजिक संकेतक आपने 24.3 परसेंट बताया है। आपने वहां 5,470 लाख रुपए आबंटित किए हैं, इसी तरह से अन्य जगहों पर भी आबंटित किए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक प्रगति की दिशा में आपने जो इतने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, वे जमीन पर लागू क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आपने जो ये 90 क्षेत्र बताए हैं, इन 90 क्षेत्रों में आपकी योजनाएं जमीन पर उतर पाई हैं? अगर नहीं उतर पाई हैं, तो इसका लाभ प्रभावी तौर से माइनोंरिटीज को मिले, इसके लिए क्या आपने कोई मॉनीटरिंग सिस्टम बनाया है या खुद इसकी देखभाल की है? आप यह कहकर अपने जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि इसको स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मंत्रालय ने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं?

श्री सलमान खुर्शीद : सभापति जी, मैं भगवान हनुमान की तरह अपना दिल खोलकर नहीं दिखा सकता हूँ, कि माननीय सदस्य को मेरी नीयत पता चल सके, लेकिन जो हमारी कार्यशैली है, उसी कार्यशैली पर आपको निर्भर रहना पड़ेगा।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : दिल खोलकर मत दिखाइए, मुंह से ही बता दीजिए।

श्री सलमान खुर्शीद : अगर मुंह से बताने से आप संतुष्ट हो जाएंगे, तो हमारे देश की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी।

सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें हर क्षेत्र के सांसद और वहां के विधायकगणों को 15 प्वाइंट प्रोग्राम की कमेटी में बैठने का अवसर मिलेगा और उस 15 प्वाइंट कमेटी में आपके जो प्रस्ताव बनते हैं, उन प्रस्तावों पर हम आगे चलकर आपको पैसा आबंटित कराते हैं। इसके अतिरिक्त हमने 150 नेशनल मॉनीटर्स भी तय किए हैं, जो कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के सरकारी अधिकारी होंगे, जो अपने पदों से मुक्त होने के बाद जनसेवा करना चाहते हैं, उनको हमने कुछ ट्रेनिंग देकर इस काम के लिए तैयार किया है। वर्ष में कई बार वे वहां पर जाकर धरातल पर देखकर आएंगे कि हमारे कार्यक्रम कितने सफल और प्रभावशाली हैं। इसके साथ-साथ हमने यह भी प्रयास किया है कि आप लोगों के माध्यम से, NGOs के माध्यम से हमको सूचनाएं प्राप्त होती रहें। यह प्रश्न उठता है कि क्या माइनोंरिटीज को इसका पूरा लाभ मिल रहा है। हमारा लक्ष्य एरिया डेवलपमेंट का है। हम मानते हैं कि उन माइनोंरिटीज के कारण हम उस एरिया का डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, उनको विकसित करने जा रहे हैं, लेकिन यह सभी के लिए सामान्य अवसर है। ऐसा नहीं है कि कोई अस्पताल, स्कूल, कॉलेज या आई.टी.आई. बनेगा, तो उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक ही जाएंगे, बल्कि उसमें बहुसंख्यकों का भी उतना ही स्वागत होगा और हम मानते हैं कि हमारे देश की एकता और हमारी सामाजिक एकता के लिए यह बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सभापति जी, हमारे देश में माइनोंरिटीज में मुस्लिम, सिख, बौद्ध और ईसाई लोग हैं, जिनकी आजादी के बाद बड़े पैमाने पर उपेक्षा हुई है। मैं इन 90 डिस्ट्रिक्ट्स का break-up चाहता हूँ कि इनमें कितने डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध माइनोंरिटी के हैं। मैं इनकी डिटेल्स चाहता हूँ।

श्री सलमान खुर्शीद : सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसका जवाब उन्हें हमारी वेबसाइट पर असानी से मिल जाता। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 66 ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे जनपद हैं, जहां पर

मुसलमान भाइयों की संख्या 25 प्रतिशत से ज्यादा है, 13 क्षेत्रों में ईसाई बंधुओं की संख्या ज्यादा है, 10 क्षेत्रों में बौद्ध लोगों की संख्या ज्यादा है और केवल एक ही क्षेत्र ऐसा है, जिसमें 25 प्रतिशत से अधिक आबादी सिख भाइयों और बहनों की है। लेकिन जैसा कि हमने प्रावधान किया है, उसमें जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक हैं और वहां पर जहां 15 प्रतिशत आबादी किसी और अल्पसंख्यक समुदाय की होती है ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : कश्मीर में पंडितों को अल्पसंख्यक माना गया है या नहीं माना गया है ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Ahluwaliaji, please don't interrupt.

श्री एस.एस. अहलुवालिया : कश्मीर में पंडितों को अल्पसंख्यक माना गया है या नहीं माना गया है ...**(व्यवधान)**...

श्री सलमान खुर्शीद : मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने कश्मीर का कुछ तो सोचा, लेकिन कश्मीर के संदर्भ में हमने अन्य अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत रखा है, ताकि हम उनको भी वहां पूरा लाभ पहुंचा सकें। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सर ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. I am aware that a lot of people want to participate. But more than three supplementaries cannot be allowed under our prevailing practice. If Members want a discussion on this, they know how to proceed and give a notice.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर, आप अपनी लिस्ट में देख लीजिए कि उसमें सबसे पहले मेरा नाम है या नहीं है ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: See, questions have to be rotated around the House.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर, मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप discussion के लिए नोटिस दीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सर, सचवर कमेटी की रिपोर्ट पर तब से चर्चा नहीं हुई ...**(व्यवधान)**... कश्मीर में जो पंडित हैं, उनको किस category में रखा गया है ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप discussion के लिए नोटिस दीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री तारिक अनवर : सर, सबसे अच्छा यह होगा कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हो ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Question No. 205. (Interruptions). Please... Why don't you give a notice for discussion?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर, ...(व्यवधान)...

श्री शिवानन्द तिवारी : सर, सचवर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा कराई जाए ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I have yet to see a notice on this subject from any Member of this House. Why don't you give notice for a discussion? ... (Interruptions)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप लोग बैठ जाइए ...(व्यवधान)... Let me clarify the position on supplementaries. The right to ask supplementary question is with the Member whose question has been admitted. Everybody else has no right. It is a courtesy from the Chair. Question No. 205. ... (Interruptions)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर, ...(व्यवधान)...

श्री साविर अली : सर, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : सवाल आपके तरफ से आया था ...(व्यवधान)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर, ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I would again request the hon. Member to indicate if he has given notice for a discussion on this subject.

SHRI BALAVANT ALIAS BAL APTE: Sir, you have said that it is my right to ask supplementary.

MR. CHAIRMAN: You have. Please convince your colleagues to respect your right. Question No. 205.

बाल विवाह और द्विविवाह को दिखाने वाले धारावाहिकों का प्रसारण

*205. श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ टेलीविजन चैनलों द्वारा बाल विवाह तथा द्विविवाह जैसे मुद्दों पर धारावाहिकों के प्रसारण से दर्शकों विशेषकर युवाओं तथा बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;